

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

संख्या: /XVI(1)/18/02(03)/08/T.C.

देहरादून: दिनांक: 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 30/XXX(2)/2018-30(13)/17, दिनांक: 06.02.2018 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्यान एवं रेशम विभागान्तर्गत समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उक्त अधिनियम, की धारा-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1- सचिव, उद्यान एवं रेशम, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष |
| 2- अपर सचिव, उद्यान एवं रेशम, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 3- श्री प्रदीप सिंह रावत, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| | (कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नामित) |
| 4- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड | सदस्य |

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट
अपर सचिव।

संख्या: 695 (1)/XVI(1)/18/02(03)/08, T.C. तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मा० उद्यान मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, सचिव, उद्यान एवं रेशम, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, उद्यान एवं रेशम, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- श्री प्रदीप रावत, अपर सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया, अल्मोड़ा।
- 8- निदेशक, रेशम/जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर/संगध पौधा केन्द्र सेलाकुई/उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- अनुभाग अधिकारी, उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाईल।

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 06 /स्था0/विविध/2017-18,

दिनांक: चौबटिया: अप्रैल, 02/2018

—:कार्यालय ज्ञाप:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06.02.2018 के संलग्नक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI(3)/2018 /20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर से जनपद एवं मण्डल स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है:-


- | | |
|--|---------|
| 1. निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. अपर निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 3. संयुक्त निदेशक, उद्यान निदेशालय उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 4. उपनिदेशक, (वनस्पति), राजकीय प्रजनन उद्यान काशीपुर, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. उपनिदेशक (सांख्यिकी) उद्यान निदेशालय उत्तराखण्ड | सदस्य |


(आर0सी0श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 06 /तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त पटल सहायक, (स्थापना) मुख्यालय को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार अपने पटल से संबंधित स्थानान्तरण प्रकरणों को समिति के सम्मुख निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना) मुख्यालय।
3. विभागीय समिति की समस्त सदस्य।
4. कृषि निदेशक, नंदा की चौकी प्रेमनगर, देहरादून।
5. सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।


निदेशक